फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– अमृतलाल | विपक्षी :– किशनसिंह

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 212/17

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.02.2018 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत 2018 में तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य भूमि की सीमा को लेकर विवाद बना रहता हैं। विवाद समाप्ति हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किया जाने की प्रार्थना की हैं। अतः प्रकरण में पडोसी खातेदारों के मध्य भूमि की सीमा को लेकर विवाद हैं। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी अपनी भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी कराने का अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी की आराजी नम्बर 1323 किता 1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि की पश्चिम दिशा का सीमांकन कर पत्थरगढी कराई जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। (जितेन्द्र ओझा) उपखण्ड अधिकारी मावली	